

राजस्थान सरकार
(जल संसाधन विभाग)

क्रमांक: 149-151 / भू0अ0 / ज0सं0 / 2015 /

दिनांक:

विज्ञप्ति

चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सार्वजनिक-1 माईको सिंचाई परियोजना के शेष रहे खसरों की भूमि अवाप्ति किया जाना आवश्यक है। यह विज्ञप्ति किया जाता है कि नीचे वर्णित इलाकों की भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

सामगह-1। नाईको सिंचाई परियोजना के शेष खसरों की भूमि के निमित्त उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन आवश्यक नहीं होने से अधिनियम की धारा-11 व 12 के प्रावधानों के अनुसार उन सब हितकारियों के निमित्त जारी की जाती हैं जिनका इससे संबंध है।

उक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उन समस्त अधिकारियों को, जिनका इससे सम्बन्ध है, को कुछ समय के लिए अपने सेवकों एवं श्रमिकों सहित उस क्षेत्र में प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने तथा वे सब कार्य करन हेतु अधिकृत करती हैं, जो उक्त धारा में दर्शाये गये हैं।

यदि हितकारी व्यक्ति जिसे निम्नांकित क्षेत्र की किसी भूमि के अवाप्ति करने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह उक्त विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशित होने के 60 दिन के अन्दर अपारिणित लिखित में भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बांसवाड़ा को प्रस्तुत कर सकता है। विवरण सलग्न सूची के अनुसार

सलग्न:-सूची

आज्ञा से,

६०

जितेन्द्र दीक्षित

रूप सचिव एवं प्रायै.सहायक

वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन

राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 05/3/2018

क्रमांक: 149-151 / भू0अ0 / ज0सं0 / 2015 / 985-988
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग उदयपुर।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री / अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है। कृपया प्रकाशन की सूचना से इस विभाग को यथा शीघ्र अवगत कराने की व्यवस्था करावें।
- 3-अधिशासक अभियन्ता, बाँध खण्ड-प्रथम माही परियोजना, बांसवाड़ा को निम्नलिखित कार्यवाही बाबत प्रेषित है :-
(क) इस विज्ञप्ति को जन सम्पर्क निदेशालय के माध्यम से कम से कम दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।
(ख) इस विज्ञप्ति को डिभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही हेतु।
- 4- भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बांसवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति का सांसार सूचनार्थ यथोचित सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की कार्यवाही कराने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जितेन्द्र दीक्षित

रूप सचिव एवं प्रायै.सहायक
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान जयपुर।

659
13/3/18

Wajant
Pur - P
177

21529
OA

EC

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, बाँध खण्ड-प्रथम, माही परियोजना, बाँसवाडा

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम-2013 के प्रावधानों के अनुसार रामगढ-I फोर वाटर अन्तर्गत माईक्रो सिंचाई योजना के तालाब के डूब/निर्माण में अवाप्त होने वाली भूमि के शेष रहे खातेदारों की धारा-11 व 12 के प्रस्ताव


भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बाँसवाडा (राज.)


गाँव - रामगढ तहसील आम्बापुरा जिला बाँसवाडा (राज.) के अवाप्त होने वाली भूमि/सम्पत्ति के खातेदारों की सूची/ रकबा एकड़ों में।


क.सं	खसरा नम्बर	कुल रकबा एकड़ों में	किस्म जमीन	अवाप्त होने वाली भूमि एकड़ों में	नाम खातेदार
1	2	3	4	5	6
1	141	0.94	ख.च.	0.94	श्रीमती दुर्गा पत्नी रामलाल भील सा.देह खातेदार
2	142	3.10	काली चरनोई	2.10	बशरह सदर
3	143	1.74	ख.च.	1.74	रमेश पिता भलीया, काली बेवा भलीया, कानजी, हुरजी पिता गलिया भील सा. देह खातेदार
4	144	1.24	ख.च.	1.00	बशरह सदर
5	145	0.86	ख.च.	0.86	बशरह सदर
6	148	0.88	ख.च.	0.45	जीवणा पिता नाहरेंग, कचरी बेवा नाहरेंग भील सा.देह खातेदार
7	687/148	0.46	ख.च.	0.20	जोतीया पिता नाहरेंग भील सा.देह खातेदार
कुल योग :-				7.29	एकड़

गोश्वारा अवाप्त होने वाली भूमि का विवरण/रकबा एकड़ों में।

क.सं	नाम गाँव	श्री सरकार रकबा एकड़ों में	खातेदार रकबा एकड़ों में	कुल योग रकबा एकड़ों में
1	रामगढ	0.00	7.29	7.29


 (निरंजन मीणा)
 अधिशासी अभियन्ता
 बाँध खण्ड-प्रथम
 माही परियोजना, बाँसवाडा


 (जितेन्द्र वर्मा)
 अधीक्षण अभियन्ता
 निर्माण वृत्त
 माही परियोजना, बाँसवाडा

प्रति हस्ताक्षरित

 जितेन्द्र वर्मा
 अधीक्षण अभियन्ता
 न.स.वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
 राजस्थान, जयपुर